

राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर रायसिंहनगर
क्रमांक:- 2 रूप:- 73

ग्राम पंचायत, 05/10/2025
दिनांक 16/10/2025

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र पटवारी हल्मा 16P-5 व भू.अ.नि. किंकरवाली की रिपोर्ट तथा तहसीलदार मु.क.ला.व. की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1958 की धारा 138 के अनुसार ग्राम 7MK तहसील रामाकिंदनगर जिला रायसिंहनगर की जमाबंदी सम्वत् 2074-75 में खाता संख्या 49 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र०सं	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि अशुद्ध प्रविष्टि	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	7MK	49	बलजीत कौर हिस्सा रदन ऑरियण्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स 211241 रामाकिंदनगर 201751	बलजीत कौर हिस्सा रदन PNB 211241 रामाकिंदनगर

05/10/25
उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी
पदेन सहायक कलेक्टर
रायसिंहनगर

दिनांक:- 17-10-25

क्रमांक:-

तहसीलदार मु.क.ला.व. को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।

- प्रार्थी श्री रामाकिंदन कौर को सूचनार्थ।
- रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी
पदेन सहायक कलेक्टर
रायसिंहनगर

